तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/1/15	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है~~/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/1/15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
24/1/15	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/~~अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अ~~वकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/1/15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
26/1/2015	प्रार्थीगण के वकील उपस्थित हैं। वकील प्रार्थीगण ने कोई रूलिंग पेश नहीं की है। अत: प्रा०पत्र 152 C.P.C. खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं ... (आर0ए0एस0), उप जिला कलेक्टर

एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
94/2013	30.08.2013	26.11.2015

1. कमलसिंह पुत्र मथुरालाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. मोहनसिंह पुत्र मथुरालाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. मु0 कौशा बेवा मथुरालाल, गुर्जर निवासी सलेमपुर तह0गंगापुरसिटी——प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. भीमा पुत्र भीमा, गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0

उपस्थित:- श्री रवि कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.10.2003 को माननीय न्यायालय में एक दावा कमलसिंह वगैरा बनाम लैण्ड होल्डर मु0नं0 137/2003 इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0नं0 331 रकबा 48 एयर, 332 रकबा 1 एयर ग्राम सलेमपुर वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीसंख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 ता 3 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। शेष 1/4 भूमि की खातेदारी श्रीनारायण के नाम दर्ज है परन्तु श्रीनारायण का इसमें कोई हिस्सा अलग से दर्ज नहीं है। वास्तव में उक्त आराजी में श्रीनारायण एवं वादीगण के पिता मथुरालाल हिस्सा 1/2 दर्ज था। इस प्रकार श्रीनारायण व मथुरालाल का शामिल में 1/2 हिस्सा था । इस प्रकार हाबूड्या के दो लडके श्रीनारायण व मथुरालाल थे। हाबूडया ने श्रीनारायण को हटीला को गोद दे दिया एवं श्रीनारायण अपने दत्तक पिता की जायदाद पर कायम हो गया परन्तु उसके नाम हाबूड्या की जायदाद में नाम खातेदारी में बदस्तूर चलता रहा। मथुरालाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। उनके स्थान पर बतौर वारिस वादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी हो गई। इसकी नकल लेने पर दिनांक 19.12.2000 को वादीगण को ज्ञात हुआ कि श्रीनारायण की खातेदारी आज तक चली आ रही है जबकि वह तो 50 वर्ष पूर्व से भी पहले ही गोद जा चुका था एवं हाबूड्या की भूमि में उसके अधिकार समाप्त हो चुके थे। श्रीनारायण का भी स्वर्गवास आज से करीब 14–15 साल पूर्व हो चुका है परन्तु वादग्रस्त आराजी में उसका नाम भी चला आ रहा है जिसे हजफ किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ख0नं0 331, 332 ग्राम सलेमपुर से श्रीनारायण पुत्र हाबूड्या का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण नम्बर 1 ता 3 का नाम दर्ज किया जावे तथा खातेदारी में हिस्सा 1/2 दर्ज किया जावे। यह दावा दर्ज किया जाकर दिनांक 5.9.2007 को डिक्री कर दिया गया । निर्णय में अदालत द्वारा श्रीनारायण का गोद जाना मानते हुए तथा श्रीनारायण का नाम मथुरालाल के नाम के साथ गलत रूप से दर्ज होना मानते हुए भूमि ख0नं0 331, 332 ग्राम सलेमपुर में से श्रीनारायण का नाम हजफ करके उपरोक्त भूमि 1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित कर दिया । इस निर्णय के हिसाब से श्रीनारायण के हिस्सा 1/4 की खातेदारी मथुरालाल के वारिसों वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन अदालत

मातहत ने अपने अन्तिम निर्णय में वादीगण संख्या 1 ता 3 के स्थान पर समस्त वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0 पी0सी0 पेश कर अर्ज है कि मुकदमा नम्बर 137/2003 उनवानी कमलसिंह वगैरा बनाम लैण्ड होल्डर न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी निर्णय दिनांक 5.9.2007 में निर्णय के अन्त में खातेदार काश्तकार "वादीगण को घोषित किया जाता है " में वादीगण के स्थान पर वादीगण संख्या 1 ता 3 दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार संशोधित डिक्री जारी की जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । मूल दावा पत्रावली तलव की गई ।

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 5.9.2007 में संशोधन करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । मूल दावा पत्रावली का अवलोकन किया । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने यह तथ्य उजागर किया कि आदेश दिनांक 5.9.2007 का अभिलेख में अमल हो चुका है एवं इस आदेश की पालना में खुले नामान्तरकरण के विरूद्ध उन्होने श्रीमान् अतिरिक्त जिलाकलेक्टर सवाईमाधोपुर के यहां प्रथम अपील एवं श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय के यहां द्वितीय अपील भी प्रस्तुत की थी जो खारिज हो चुकी है।

धारा 152 सी0पी0सी0 में संशोधन के लिए एक सीमित क्षेत्र है जिसके तहत उस गलत को शुद्ध किया जा सकता है जिसे शुद्ध करने से मूल निर्णय की भावना परिवर्तित नहीं हो । प्रार्थीगण के वकील द्वारा बहस में बताए गए तथ्य के अनुसार यहां प्रस्तुत मामले में निर्णय दिनांक 5.9.2007 की पालना हो चुकी है एवं इसकी पालना में खोले गए नामान्तरकरण की प्रथम व द्वितीय अपील भी प्रार्थीगण द्वारा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब धारा 152 सी0पी0सी0 के तहत निर्णय दिनांक 5.9.2007 में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 152 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किए जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 खारिज किया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति मूल दावे की पत्रावली में भी शामिल की जावे एवं मूल दावे की पत्रावली वापिस जिला अभिलेखागार में भिजवाई जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी